न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 70/2024 निर्णय दिनांक :– 30/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. नाराण पुत्र गौरू जाति मीणा निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गोविन्दा पुत्र गौरू जाति मीणा निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गिरीराज पुत्र गौरू जाति मीणा निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. बरजी पत्नि गौरू जाति मीणा निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. सरीया पुत्र गौरू जाति मीणा निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सोमा पुत्र गौरू जाति मीणा निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

तहसीलदार देवली

उपस्थिति :– श्री मिश्रीलाल
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 716 रकबा 1.53 है0, खसरा नम्बर 717 रकबा 1.67 है0, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.10 है0 व खसरा नम्बर 719 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्ज चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पर काफी वर्षो से काबिज काश्त है। वत वर्तमान में उक्त आराजीयात खाली पडी है। वर्तमान में आस पास के खेत वालो ने प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर मेड/डोल नष्ट कर दी है। प्रार्थीगण के खेत के पडोसियों ने नाजायत रूप से फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे–धीरे आने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता

Scanned with OKEN Scanner

है। ताकि प्रार्थीगण की आराजी के पडोसी काश्तकार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतो में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थीगण अपने खेत पर जाते है तो वहां पर सीमा चिन्ह नही मिलते है। वर्तमान में खेत खाली है। इसलिए अभी खेत की पत्थरगढी की जाती है तो आने वाले समय में जब फसल काश्त होगी तो कोई विवाद पैदा नही होगा और प्रार्थीगण मुकदमेबाजी से बच जायेंगे। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व खसरा नम्बर 719 पर पडोसी खातेदारान का कब्जा काश्त है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद होना बताया है जिसके खसरा नम्बर 725 व 720 है। जिस खातेदारो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया गया है उन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है व राजकीय भूमि 703 व 715 स्थित है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 719 रकबा 0.28 को छोडकर शेष खसरा नम्बरों जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में **अंकित खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 716 रकबा 1.53 है0 व खसरा नम्बर 717 रकबा 1.67 है0 व खसरा नम्बर 718 रकबा 0.10 है0** वाके ग्राम पोल्याडा जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार

Scanned with OKEN Scanner

पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner